



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237629
CG-DL-E-28072022-237629

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3244]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3244]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3406(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड

(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, हिमाचल प्रदेश राज्य में गोविंदसागर के बैक वाटर पर लाठियानी ब्रिज और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु एनएच-503ए पर मौजूदा किमी 35+550 से कि.मी. 42+800 तक के मिसिंग लिंक के निर्माण पर भूमि अधिग्रहण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में गोविंदसागर के बैक वाटर पर लाठियानी ब्रिज और राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु एनएच-503ए पर मौजूदा कि.मी. 35+550 से कि.मी. 42+800 तक के मिसिंग लिंक के निर्माण पर भूमि अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एँस्.डी.ओ (सिभल्) बंगाना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH503A के कि.मी. 35.5 से 42.8 तक	हिमाचल प्रदेश	ऊना	बंगाणा	1 गोविंदसागर झील (9/22)

[फा. सं. RO/HP/Birhu-Lathani/NH-503A/181]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3406(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Land Acquisition for Construction of the missing link from Existing Km. 35+550 to Km. 42+800 on NH-503A including Lathiani Bridge on back water of Govindsagar and its approaches for building (widening / Two laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

Land Acquisition for Construction of the missing link from Existing Km. 35+550 to Km. 42+800 on NH-503A including Lathiani Bridge on back water of Govindsagar and its approaches for building (widening/Two laning,etc.), maintenance, management and operation in the State of Himachal Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	S.D.O (Civil) Bangana	35.5Km. To 42.8Km.	HIMACHAL PRADESH	UNA	Bangana	1 Govindsagar Lake (9/22)

[F. No. RO/HP/Birhu-Lathani/NH-503A/181]

RAJESH GUPTA, Director